

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी होशंगाबाद

क्र. 1284/ई.एस./निर्वा0/2018

होशंगाबाद दिनांक 24/8/2018

प्रति,


पुलिस अधीक्षक
होशंगाबाद

विषय - अपराधियों को जारी स्थायी वारंटियों की सूची उपलब्ध कराने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिपेक्ष्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेन्स दिनांक 24.08.2018 में निर्देश दिये गये हैं कि जिले में ऐसे अपराधी जिनके फरार रहने की स्थिति में स्थायी वारंट न्यायालयों द्वारा जारी किये गये हैं जो पुलिस द्वारा तामीली कराने पर भी अपराधी अपने निवास स्थान पर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के नाम नियमानुसार जांच कर मतदाता सूची से निरसन किया जाना है।

कृपया विधानसभा निर्वाचन की निकटता को दृष्टिगत रखते हुये एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेन्स दिनांक 24.08.2018 में दिये गये निर्देश के अनुसरण में जिले में ऐसे अपराधी जिन्हें स्थायी वारंट जारी हुये हैं। उनके नाम, पते एवं स्थान की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उनकी विधिवत जांच कराई जाकर उनके नाम मतदाता सूची से निरसन कराये जा सकें।




संयुक्त कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
होशंगाबाद

क्र. 1285/ई.एस./निर्वा0/2018

होशंगाबाद दिनांक 24/8/2018

प्रति,

- 1- आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सर्व/तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सर्व की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आप अपने क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारियों से तत्काल संपर्क कर उनके क्षेत्र में ऐसे अपराधी जिनके स्थायी वारंट जारी हुये हैं और वे अपने निवास स्थान से फरार है जिसके कारण वारंट तामीली नहीं हो रही है ऐसे व्यक्तियों के नाम की सूची तत्काल प्राप्त कर प्राप्त सूची के अनुसार उन व्यक्तियों की विधिवत जांच कराई जाकर नियमानुसार मतदाता सूची से नाम विलोपन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- स्टेनो टू कलेक्टर होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।




संयुक्त कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
होशंगाबाद